

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1972/चैत्र 8, 1894

No. 168]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1972/CHAITRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 1972

S.O. 235(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected in the constituencies referred to therein is published for general information—

DECLARATIONS

(1)

Bye-election to the House of the People from the 3-Diphu (ST) Parliamentary Constituency in Assam.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Biren Engti

(Name)

Diphu Town, Mikir Hills

(Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the provisions of sub-section (3) of section 16 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971).

Place: Diphu

Date: 13-3-71

(Sd.) U. C. SARANIA,
Returning Officer."

(2)

Bye-election to the House of the People from the 18-Akola Parliamentary Constituency in Maharashtra.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Sathe Vasantrao Purushottam

(Name)

Dhantoli, Nagpur

(Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Khan Mohamadh Asgar Hussain Sardarkhan having become vacant.

Place: Akola.

Date: 13th March, 1972

B. G. DESHMUMKH,
Returning Officer."

(3)

Bye-election to the House of the People from the 1-Mayurbhanj Parliamentary Constituency in Meghalaya.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Karnesh Marak

(Name)

Village-Tura Hawakhana,

P.O. Tura, District Garo Hills

(Address)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Tura.

Date: 13-3-72

K. K. SINHA,
Returning Officer."

(4)

Bye-election to the House of the People from the 1-Mayurbhanj Parliamentary Constituency in Orissa.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Rules, 1961, I declare that:—

Shri Chandra Mohan Sinha

(Name)

Village Sanjoydhanposi, P.O. Badanpahad,

(Address)

Distt. Mayurbhanj.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Manmohan Tridu.

Place Baripada

Date: 15-3-72

(Sd.) S.K. MAHAPATRA,
Returning Officer."

(5)

Bye-election to the House of the People from the 11-Koraput Parliamentary Constituency in Orissa.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Giridhar Gomango

(Name)

Village Debirisingi, P.O. Gudlabandho,

P.S. Gudari, Distt. Koraput.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Bhagirathi Gomango.

Place: Koraput

Date: 13-3-72

(Sd.)
Returning Officer."

(6)

Bye-election to the House of the People from the 4-Amritsar Parliamentary constituency in Punjab.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that:—

Raghunandan Lal Bhatia, 26, The Mall, Amritsar.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Durga Dass Bhatia having become vacant.

Place: Amritsar

Date: 14-3-1972

(Sd.)

Returning Officer."

(7)

Bye-election to the House of the People from the 8-Murshidabad Parliamentary Constituency in West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Muhammed Khuda Bukhsh,

(Name)

Village-Barua, P.O. Beldanga, Distt. Murshidabad.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Chowdhury Abu Taleb.

Place: Berhampore

Date: 15-3-72

(Sd.) K. P. GHOSH,

Returning Officer."

[No. F. 13(2)/72-Leg. II]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

बिधि प्रोद् श्राव्य मंत्रालय

(बिधि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

का० प्रा० 235(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें निविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिये गये हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं—

घोषणाएं

(1)

आसम म 3-ईफू (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर

पूर्वी क्षेत्र (गुनगंडन अधिनियम), 1971 (1971 का 81) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में उम सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

विरेन ऐंगटी (नाम)

डीफ शहर, मिर्किर हिल्स । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : डीफ (ह०) यू० सी० मारनियां,

तारीख : 13-3-71 रिटर्निंग आफिसर ।”

(2)

महाराष्ट्र में 18-अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषित करता हूँ कि श्री खान मोहम्मद असगर हुसेन, सरदार खा की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए —

श्री साठे बसन्तराव पुरुषोत्तम (नाम)

धनतौली, नागपुर । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अकोला

तारीख : 13 मार्च, 1972 (ह०) बी० जी० देशमुख,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(3)

मेरालप्र में 2-तुरा (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उम सदन में स्थान को भरने के लिए —

श्री कारनेश मरक (नाम)

गांव—तुरा हवाखाना
डाकखाना—तुरा

जिला—गारो हिल्स (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : तुरा (ह०) के० के० मिन्हा,

तारीख : 13-3-1972 रिटर्निंग आफिसर ।”

(1)

उड़ीसा में -पूरुब अ-ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम, 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री मनमोहन त्रिदु के त्याग पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री अन्ध्र मोहन सिन्हा

(नाम)

गांव—मंजोएधानपोशी

डाकखाना—अदनपहाड़

जिला—मयूर भंज ।

(पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : बारीपाड़ा

तारीख : 15-3-72

(ह०) एम० के० महापात्रा,
रिटनिंग आफिसर ।”

(5)

उड़ीसा में 11—ह०, रापूत (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री भागीरथी गोमांगो के त्याग पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री गिरिधर गोमांगो

(नाम)

गांव—दैबीरीसिगी

डाकखाना—गुडियाबांधो

पुलिस स्टेशन—गोडारी

जिला—कोरापूत ।

(पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं

ह०—

स्थान : कोरापूत

तारीख : 13-3-72

रिटनिंग आफिसर ।”

(6)

पंजाब में 4—अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री दुर्गादास भाटिया की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया

26, दि माल, अमृतसर

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अमृतसर

तारीख : 14-3-1972

(ह०)

रिटनिंग आफिसर ।”

(7)

पश्चिम बंगाल में 8-मृगशिरा व सप्तमीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि चौधरी अबु तालब की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

मोहम्मद खुदाबक्श

(नाम)

गांव—बरुआ

झाकखाना—बेलडांगा

जिला—मुर्शिदाबाद ।

(प्रा)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए ।

स्थान—बरहमपुर

(ह०) के० पी० घोष,

तारीख—15-3-72

रिटनिंग आफिसर ।”

[सं० एफ० 13(2)/72-विभागी-II]

एन० डी० पी० नम्बूदरीपाव, संयोजक, मंत्रालय ।